कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक,
मध्यप्रदेश.

क्रमांक/2827/तकनीकी/2011 भोपाल, दिनांक: 11/11/11

प्रति,

समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक,
समस्त जिला पंजीयक,
समस्त उप पंजीयक, मध्यप्रदेश.

विषयः– पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों में निष्पादकों की शिनाख्त करने वाले गवाहों के फोटो दस्तावेज पर चस्पा कराने बाबत् ।

जैसा कि आपको विदित है कि भारत सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 में नई धारा 32–क अन्तः स्थापित कर अचल सम्पत्ति के क्रय–विक्रय के दस्तावेजों में विक्रेता एवं क्रेता को फोटो लगाना अनिवार्य कर दिया गया है । उक्त प्रावधान दस्तावेजों के पंजीयन में होने वाली जालसाजी को रोकने के उद्देश्य से किया गया था ।

पिछले दिनों जालसाजी के कई ऐसे प्रकरण प्रकाश में आये हैं, जिनमें न केवल दस्तावेज के निष्पादक अपितु निष्पादकों की शिनाख्त करने वाले गवाह फर्जी पाये गए हैं । उक्त प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कृपया यह सुनिश्चित करें कि अचल सम्पत्ति से संबंधित दस्तावेजों में क्रेता, विक्रेता के साथ–साथ, उनकी शिनाख्त करने वाले गवाहों के पासपोर्ट साईज फोटो, उनके द्वारा शिनाख्त करने संबंधी पृष्ठांकन के समक्ष चस्पा कराए जाएं । साथ ही गवाह की पहचान से संबंधित दस्तावेज जैसे मतदाता पहचान–पत्र, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पासपोर्ट आदि का क्रमांक, पृष्ठांकन में उसके नाम तथा पते के साथ अंकित कराएं ।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ।

महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश.